कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः– 144 / FP/UK/TRANS/154613/2022 देहरादूनः दिनांक 25 जुलाई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल के नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रांड गेज रेल मार्ग को विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल 02 निर्माण हेतु 1.66 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 टिहरी गढवाल को प्रत्यावर्तन। संख्या–(FP/UK/TRANS/154613/2022)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक– 8बी/यू0सी0पी0/04/65/2022/एफ0सी0/870, दिनांक 23.09.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक** 23.09.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 13/12–1 दिनांक 04.07.2023 से प्राप्त आख्या के क्रम में विन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The reason for not including this proposal in the initial original proposal shall be submitted.	**बिन्दु संख्या–01** के क्रम में अवगत कराया गया है कि मूल प्रस्ताव निर्माण की समयावधि के दौरान प्रस्तावक विभाग के पास कोई परियोजना प्रबन्धन परामर्शदात्री संस्था (PMC),(DDC) कार्यरत नहीं थी तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण के पास परामर्शदात्री संस्था के नामांकन के उपरान्त उनके द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करने पर ट्रांसमिशन लाईन के क्रियान्वयन हेतु सुझाव दिये गये इस कारण पूर्व में मूल प्रस्ताव में विषयगत प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया है।
2	Details of all the Components i.e. tower shall be mentioned at para B 2.4 in part I.	**बिन्दु संख्या–02** के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के भाग–1 के पैरा–2.4 में वांछित सूचना अंकित कर दिया गया है।
3	Date shall be mentioned on the proceedings of the SDLC meeting.	**बिन्दु संख्या–03** के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के भाग–1 के पैरा–K(a) में उप जिलाधिकारी स्तरीय समिति में दिनांक अंकित कर अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्न–01)**
4	Proceedings of the Village Level Committee (VLC) meeting of Village 'Gular' are not uploaded However, the same could be submitted prior to the Stage-II approval.	**बिन्दु संख्या–04** के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन 03 ग्रामों (चमेली, तिमली एवं बवाणी) से होकर गुजरती है जिस कारण गूलर ग्राम की समिति का विवरण अपलोड नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया है कि परियोजना का शीर्षक, पास के प्रसिद्ध क्षेत्र के मध्येनजर गूलर से शिवपुरी रखा गया है।

5	The total length of the project is 260 meters, the width in forest land required for the project is proposed in the range of 1m. to 50 m. As per the guidelines the width of Right of way for 33 kv transmission lines is to be considered as 15m. Hence, State Government is requested to submit the justification for the same and the user agency revise the requirment of width in forest land to a minimum requirement of 15m. The number of trees affected, CA area etc. shall also be revised accordingly and uploaded at designated places.	**बिन्दु संख्या–05** के अनुपालन मे अवगत कराया गया है कि परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के प्रारूप–15 लैण्ड शैड्यूल में प्रस्तावित लंबाई 8400 मीटर अंकित है और सर्वेक्षण के दौरान चौड़ाई 2 मीटर रखी गई है। जिसके अवलोकन हेतु प्रारूप–15 लैण्ड शैड्यूल की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–02)**
6	Total 585 trees are proposed to be affected. However, it is mentioned in पपत्र 21 that no tree felling shall be involved in the proposal. State Govt. is requested to submit a list of the trees proposed for lopping separately.	**बिन्दु संख्या–06** के अनुपालन में अवगत कराना है कि ट्रांसमिशन लाईन के नीचे/समीप आने वाले वृक्ष, जिनकी लौपिंग की जानी है, की सूची ऑन लाईन परिवेष पोर्टल मे अपलोड कर दी गयी है तथा प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–03)**
7	As per the DSS analysis of CA area, 01 ha area is found to be MDF. DFO shall inspect the area and submit Site Inspection Report & if the area is found suitable for planting 1000 Trees a certificate mentioning that 1000 Trees per hectare can be accommodated in the said area shall be submitted by the DFO. If not, than the area shall be replaced by same other area suitable for raising CA.	**बिन्दु संख्या–07** के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त परियोजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पुनः नवीन क्षेत्र का चयन शिवपुरी राजि के ब्रहमपुरी क0सं0–05 (3.36 हे0) में किया गया है तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित क्षतिपूरक वनीकरण योजना, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं टोपोशीट तथा डिजिटल मैप की मूल प्रतियां संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–04)**
8	Administrative approval is not found uploaded. State Govt. is requested to submit the administrative approval of the project.	**बिन्दु संख्या–08** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसे मय संलग्नकों के प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्न–05)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 25/7

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 044 / FP/UK/TRANS/154613/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 13/12–1 दिनांक 04.07.2023 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

(हस्ताक्षर)

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।